उत्तर प्रदेश शासन

राजस्व अनुभाग–9

संख्या–1758 / 1-9–07-28एल०सी०-2005

लखनऊ, 06 अगस्त, 2007

अधिसूचना संख्या 1749/1-9–2007-28एल०सी०-2005, दिनांक 06 अगस्त, 2007 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश लेखपाल सेवा नियमावली 2006 (अंग्रेजी रुपान्तर सहित) की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं:–

(1) समस्त प्रमुख सचिव / सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।

(2) समस्त मण्डलायुक्त / जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

(3) समस्त विभागाध्यक्ष / कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।

(4) सचिव, राज्यपाल महोदय, उत्तर प्रदेश।

(5) सचिव, विधान सभा / विधान परिषद उत्तर प्रदेश।

(6) सचिव, लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

(7) सचिवालय के समस्त अनुभाग।

(8) सचिव, राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

(9) निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उ०प्र० लखनऊ को असाधारण गजट में प्रकाशनार्थ।

आज्ञा से,

एस०ए०ए० रिजवी,

सचिव।

क्रम-संख्या-208(क-5)

रजिस्ट्रेशन नम्बर-जी०-11/लाई०-न्यूज पेपर/91/05-06

लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग—4, खण्ड (क)

(सामान्य परिनियम नियम)

लखनऊ, सोमवार, 6 अगस्त, 2007

श्रावण 15, 1929 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

राजस्व अनुभाग—9

संख्या 1749/1-9-2007-28-एल0सी0-2005

लखनऊ, 6 अगस्त, 2007

अधिसूचना

प्रकीर्ण

सा0प0नि0—34

संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके और इस विषय पर समस्त विद्यमान नियमों और आदेशों का अधिक्रमण करके राज्यपाल, उत्तर प्रदेश लेखपाल सेवा में भर्ती और उसमें नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तों को विनियमित करने के लिये निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :—

उत्तर प्रदेश लेखपाल सेवा नियमावली, 2006

भाग—एक सामान्य

1—(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश लेखपाल सेवा नियमावली, 2006 कहीं जायेगी। संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

2—उत्तर प्रदेश लेखपाल सेवा एक अधीनस्थ सेवा है जिसमें समूह 'ग' के पद समाविष्ट हैं। सेवा की प्रास्थिति

परिभाषाएं

3—जब तक विषय या सन्दर्भ में कोई प्रतिकूल बात न हो, इस नियमावली में :—

(क) 'अधिनियम' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994 से है;

(ख) 'नियुक्ति प्राधिकारी' का तात्पर्य उप जिलाधिकारी से है;

(ग) 'परिषद' का तात्पर्य राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश से है;

(घ) 'भारत का नागरिक' का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो संविधान के भाग—दो के अधीन भारत का नागरिक हो या समझा जाय;

(ङ) 'आयुक्त' का तात्पर्य किसी मण्डल के आयुक्त से है;

(च) 'संविधान' का तात्पर्य भारत के संविधान से है;

(छ) 'भू—अभिलेख का निदेशक', जिसे आगे निदेशक कहा गया है, का तात्पर्य भू—अभिलेख के निदेशक की शक्तियों का तत्समय प्रयोग कर रहे प्राधिकारी से है;

टिप्पणी—वर्तमान में निदेशक की शक्तियों का प्रयोग राजस्व परिषद करता है।

(ज) 'सरकार' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार से है;

(झ) 'राज्यपाल' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश के राज्यपाल से है;

(ञ) 'सेवा का सदस्य' का तात्पर्य सेवा के संवर्ग में किसी पद पर इस नियमावली या इस नियमावली के प्रारम्भ होने के पूर्व प्रवृत्त नियमों या आदेशों के अधीन मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्ति से है;

(ट) 'नागरिकों' के अन्य पिछड़े वर्गों, का तात्पर्य समय-समय पर यथा संशोधित अधिनियम की अनुसूची एक में विनिर्दिष्ट नागरिकों के पिछड़े वर्गों से है;

(ठ) 'सेवा' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश लेखपाल सेवा से है;

(ड) "मौलिक नियुक्ति" का तात्पर्य सेवा के संवर्ग में किसी पद पर ऐसी नियुक्ति से है, जो तद्‌र्थ नियुक्ति न हो और नियमों के अनुसार चयन के पश्चात् की गयी हो और यदि कोई नियम न हो तो सरकार द्वारा जारी किये गये कार्यपालक आदेशों द्वारा तत्समय विहित प्रक्रिया के अनुसार की गयी हो;

(ढ) "भर्ती का वर्ष" का तात्पर्य किसी कलेन्डर वर्ष की पहली जुलाई को प्रारम्भ होने वाली बाहर मास की अवधि से है;

भाग—दो संवर्ग

सेवा का संवर्ग

4—(1) सेवा की सदस्य संख्या उतनी होगी, जितनी सरकार द्वारा समय-समय पर अवधारित की जाए।

(2) जब तक कि उप नियम (1) के अधीन परिवर्तन करने के आदेश न दिये जाएं, सेवा की सदस्य संख्या उतनी होगी जितनी नीचे दी गयी है:

पद का नाम	पदों की संख्या		
	स्थायी	अस्थायी	योग
लेखपाल	27,237	—	27,237

(3) लेखपालों का संवर्ग जिलावार होगा और जिलावार सदस्य संख्या का आवंटन राज्य सरकार किया जाएगा : परन्तु,—

(एक) नियुक्ति प्राधिकारी किसी रिक्त पद को बिना भरे हुए छोड़ सकता है या राज्यपाल उसे आस्थगित रख सकते हैं, जिससे कोई व्यक्ति प्रतिकर का हकदार न होगा, या

(दो) राज्यपाल ऐसे अतिरिक्त स्थायी या अस्थायी पदों का सृजन कर सकते हैं, जिन्हें वह उचित समझें।

भाग–तीन भर्ती

भर्ती का स्रोत

5–सेवा में किसी पद पर भर्ती, सीधी भर्ती द्वारा की जाएगी।

आरक्षण

6–अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिये आरक्षण, समय-समय पर यथा संशोधित अधिनियम और उ0 प्र0 लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1993 और भर्ती के समय प्रवृत्त सरकार के आदेशों के अनुसार किया जायेगा।

भाग–चार अर्हताएं

राष्ट्रीयता

7–सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिये यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी :–

(क) भारत का नागरिक हो, या

(ख) तिब्बती शरणार्थी हो, जो भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से पहली जनवरी, 1962 के पूर्व भारत आया हो, या

(ग) भारतीय मूल का ऐसा व्यक्ति हो, जिसने भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका या किसी पूर्वी अफ्रीकी देश केनिया, युगांडा और यूनाईटेड रिपब्लिक आफ तंजानिया (पूर्ववर्ती तांगानिका और जंजीबार) से प्रवजन किया हो :

परन्तु उपर्युक्त श्रेणी (ख) या (ग) के अभ्यर्थी को ऐसा व्यक्ति होना चाहिये जिसके पक्ष में राज्य सरकार द्वारा पात्रता का प्रमाण-पत्र जारी किया गया हो :

परन्तु यह और कि श्रेणी (ख) के अभ्यर्थी से यह भी अपेक्षा की जायेगी कि वह पुलिस उपमहानिरीक्षक अभिसूचना शाखा, उ0 प्र0 से पात्रता का प्रमाण-पत्र प्राप्त कर लें :

परन्तु यह भी कि यदि कोई अभ्यर्थी उपर्युक्त श्रेणी (ग) का हो तो पात्रता का प्रमाण-पत्र एक वर्ष से अधिक अवधि के लिये जारी नहीं किया जायेगा और ऐसे अभ्यर्थी को एक वर्ष की अवधि के आगे सेवा में इस शर्त पर रहने दिया जायेगा कि वह भारत की नागरिकता प्राप्त कर लें;

टिप्पणी :–ऐसे अभ्यर्थी को जिसके मामले में पात्रता का प्रमाण-पत्र आवश्यक हो किन्तु जिसे न तो जारी किया गया हो और न देने से इन्कार किया गया हो, किसी परीक्षा या साक्षात्कार में सम्मिलित किया जा सकता है और उसे इस शर्त पर अनन्तिम रूप से नियुक्ति भी किया जा सकता है कि आवश्यक प्रमाण-पत्र उसके द्वारा प्राप्त कर लिया जाए या उसके पक्ष में जारी कर दिया जाय।

शैक्षिक अर्हता

8–सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिये अभ्यर्थी को माध्यमिक शिक्षा परिषद उ0 प्र0, की इण्टरमीडिएट परीक्षा या सरकार द्वारा इसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अन्य परीक्षा, उत्तीर्ण होना आवश्यक है।

अधिमानी अर्हताएं

9–अन्य बातों के समान होने पर भर्ती के मामलों में ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान दिया जाएगा जिसने :–

(एक) प्रादेशिक सेना में न्यूनतम दो वर्ष की अवधि तक सेवा की हो, या

(दो) राष्ट्रीय कैडेट कोर का "बी" प्रमाण-पत्र प्राप्त किया हो।

आयु

10–सीधी भर्ती के लिये यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी ने उस कैलेन्डर वर्ष की, जिसमें सीधी भर्ती के लिये रिक्तियां विज्ञापित की जाएं, पहली जुलाई को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और 35 वर्ष से अधिक आयु प्राप्त न की हो :

परन्तु अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और ऐसी अन्य श्रेणियों के, जो सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित की जाएं, अभ्यर्थियों की दशा में उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी जितनी विनिर्दिष्ट की जाए।

चरित्र

11—सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिये अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिए कि वह सरकारी सेवा में सेवायोजन के लिये सभी प्रकार से उपयुक्त हो सके। नियुक्ति प्राधिकारी इस सम्बन्ध में अपना समाधान कर लेगा।

टिप्पणी :—संघ सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा या संघ सरकार या किसी राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा या किसी निगम या निकाय द्वारा पदच्युत व्यक्ति सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होंगे। नैतिक अधमता के किसी अपराध के लिये दोष सिद्ध व्यक्ति भी पात्र नहीं होंगे।

वैवाहिक प्रास्थिति

12—सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिये ऐसा पुरुष अभ्यर्थी पात्र न होगा जिसकी एक से अधिक जीवित पत्नियां हों या ऐसी महिला अभ्यर्थी पात्र न होगी जिसने ऐसे पुरुष से विवाह किया हो जिसकी पहले से एक जीवित पत्नी हो :

परन्तु सरकार किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकती है यदि उसका यह समाधान हो जाए कि, ऐसा करने के लिये विशेष कारण विद्यमान हैं।

शारीरिक स्वस्थता

13—किसी अभ्यर्थी को सेवा में किसी पद पर तब तक नियुक्त नहीं किया जाएगा जब तक कि मानसिक और शारीरिक दृष्टि से उसका स्वास्थ्य अच्छा न हो और वह किसी ऐसे शारीरिक दोष से मुक्त न हो जिससे उसे अपने कर्तव्यों का दक्षतापूर्वक पालन करने में बाधा पड़ने की सम्भावना हो। किसी अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिये अन्तिम रूप से अनुमोदित किये जाने के पूर्व उससे यह अपेक्षा की जाएगी कि वह फाइनेन्शियल हैण्ड बुक खण्ड—दो, भाग—तीन के अध्याय तीन में दिये गये फण्डामेंटल रूल—10 के अधीन बनाये गये नियमों के अनुसार स्वस्थता का चिकित्सा प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करें।

भाग—पांच भर्ती की प्रक्रिया

रिक्तियों का अवधारण

14—नियुक्ति प्राधिकारी, भर्ती के वर्ष के दौरान भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या के साथ-साथ नियम—6 के अधीन अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिये आरक्षित की जाने वाली रिक्तियों की संख्या को भी अवधारित करेगा और उसकी सूचना चयन समिति को देगा। सीधी भर्ती के लिये रिक्तियों को निम्नलिखित रीति से अधिसूचित किया जाएगा :—

(एक) व्यापक प्रसार वाले दैनिक समाचार-पत्र में विज्ञापन निर्गत करके,

(दो) कार्यालय के सूचना पट पर सूचना चिपका करके या रेडियो/दूरदर्शन और अन्य रोजगार समाचार-पत्रों के माध्यम से विज्ञापन के द्वारा, और

(तीन) सेवायोजन कार्यालय को रिक्तियों को अधिसूचित करके।

सीधी भर्ती की प्रक्रिया

15—(1) भर्ती के प्रयोजन के लिये परिषद, एक चयन समिति गठित करेगी, जिसमें निम्नलिखित होंगे :—

(एक) एक अधिकारी, जो नियुक्ति प्राधिकारी की श्रेणी से नीचे का न हो। — अध्यक्ष

(दो) यदि अध्यक्ष अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों से संबंधित नहीं है तो अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों से संबंधित एक अधिकारी, जो अपर जिला मजिस्ट्रेट की श्रेणी से नीचे का न हो, यदि अध्यक्ष अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों से संबंधित है तो परिषद द्वारा, अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों या अन्य पिछड़े वर्गों से भिन्न, नाम निर्दिष्ट एक अधिकारी। — सदस्य

सदस्य

(तीन) यदि अध्यक्ष, अन्य पिछड़े वर्गों से संबंधित नहीं है तो अन्य पिछड़े वर्गों से संबंधित एक अधिकारी, जो अपर जिला मजिस्ट्रेट की श्रेणी से नीचे का न हो। यदि अध्यक्ष अन्य पिछड़े वर्गों से संबंधित है तो परिषद द्वारा, अन्य पिछड़े वर्गों या अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों से भिन्न, नाम-निर्दिष्ट एक अधिकारी।

(2) भरी जाने वाली लेखपालों की रिक्तियों की संख्या प्राप्त होने पर परिषद, प्रशासनिक आवश्यकतानुसार मण्डल स्तर या किसी अन्य इकाई के स्तर पर प्रतियोगिता परीक्षा कराने का विनिश्चय करेगी। आवेदन पत्रों को कलेक्टर द्वारा अपने जिले में आमंत्रित किया जाएगा।

(3) कलेक्टर आवेदन पत्रों की संवीक्षा करेगा और पात्र अभ्यर्थियों से, प्रतियोगिता परीक्षा में सम्मिलित होने की अपेक्षा करेगा।

(4) अभ्यर्थी द्वारा विहित प्रपत्र में आवेदन पत्र जिसमें अनिवार्य रूप से उनकी पासपोर्ट साइज फोटो की एक प्रति चिपकी होगी, प्रस्तुत किया जाएगा। आवेदन पत्र के साथ हाईस्कूल व इण्टरमीडिएट या उसके समतुल्य कोई परीक्षा के अंक तालिका की स्वप्रमाणित प्रतियों को संलग्न करना भी आवश्यक होगा। अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियों से संबंधित ऐसे अभ्यर्थी जिनके लिये रिक्तियां आरक्षित हैं, के लिये यह आवश्यक होगा कि वे नियम 6 के अधीन ऐसी विशिष्ट श्रेणी के लिये आरक्षित रिक्तियों के विरुद्ध सम्मिलित होने के लिये सक्षम प्राधिकारी द्वारा दिये गये प्रमाण-पत्र की प्रति संलग्न करें। अभ्यर्थियों को परीक्षा फीस के लिये भुगतान इण्डियन पोस्टल आर्डर या बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से जिले के कलेक्टर को किया जाएगा और फीस की धनराशि का विनिश्चय परिषद द्वारा किया जाएगा।

(5) प्रतियोगिता परीक्षा, चयन समिति के पर्यवेक्षण के अधीन संचालित की जाएगी। प्रतियोगात्मक परीक्षा में वस्तुनिष्ठ लिखित परीक्षा और साक्षात्कार सम्मिलित होगा। वस्तुनिष्ठ लिखित परीक्षा साठ अंक की होगी जिसमें सामान्य हिन्दी, गणित, सामान्य ज्ञान और ग्रामीण क्षेत्रों से संबंधित विषयों के प्रश्न सम्मिलित होंगे। साक्षात्कार चालीस अंक का होगा।

(6) लिखित परीक्षा में अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त किये गये अंकों को सारणीवद्ध किये जाने के पश्चात चयन समिति, नियम–6 के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों का सम्यक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, उतनी संख्या में अभ्यर्थियों को, जितनी इस सम्बन्ध में समिति द्वारा निर्धारित मानक तक आए हों, लिखित परीक्षा के परिणाम के आधार पर साक्षात्कार के लिये बुलायेगा। प्रत्येक अभ्यर्थी को साक्षात्कार में दिये गये अंकों को उसके द्वारा लिखित परीक्षा में प्राप्त किये गये अंकों के साथ जोड़ा जायेगा।

(7) चयन समिति, अभ्यर्थियों की प्रवीणता के क्रम में, जैसा उनके द्वारा लिखित परीक्षा, और साक्षात्कार में प्राप्त किये गये अंकों के योग से प्रकट हो, जिलावार एक सूची तैयार करेगी। यदि दो या, अधिक अभ्यर्थी बराबर-बराबर अंक प्राप्त करे तो लिखित परीक्षा में उच्चतर अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को ऊपर रखा जाएगा। लिखित परीक्षा में भी दो या अधिक अभ्यर्थियों के बराबर-बराबर अंक होने की दशा में, आयु में ज्येष्ठ अभ्यर्थी को सूची में ऊपर स्थान पर रखा जाएगा। चयन समिति, सूची को संबंधित नियुक्ति प्राधिकारी/प्राधिकारियों को अग्रसारित करेगी।

भाग–छः नियुक्ति, प्रशिक्षण परिवीक्षा, स्थायीकरण और ज्येष्ठता

नियुक्ति

16–(1) नियुक्ति प्राधिकारी अभ्यर्थियों के नाम उसी क्रम में लेकर जिसमें वे नियम 15 के अधीन तैयार की गई सूची में आये हों, नियुक्तियां करेगा।

(2) यदि किसी एक चयन के सम्बन्ध में नियुक्ति के एक से अधिक आदेश जारी किये जायें तो एक संयुक्त आदेश भी जारी किया जाएगा जिसमें व्यक्तियों के नामों का उल्लेख उसी ज्येष्ठता क्रम में किया जाएगा जैसी चयन में अवधारित की जाए।

प्रशिक्षण

17–नियम 16 के अधीन नियुक्ति किये गये व्यक्तियों को लेखपाल प्रशिक्षण स्कूल पर ऐसे दिनांक पर योगदान करना होगा जैसा परिषद द्वारा नियत किया जाय, जो कि सामान्यतया जुलाई का प्रथम दिन होगा और एक वर्ष का प्रशिक्षण लेना होगा।

अर्हता परीक्षा

18–(1) प्रशिक्षण सत्र के अन्त पर एक अर्हकारी परीक्षा होगी जिसकी व्यवस्था परिषद द्वारा की जायेगी।

(2) स्कूल का प्रधानाचार्य, प्रत्येक प्रशिक्षार्थी के कार्य और आचरण को, उनकी उपस्थिति, मासिक परीक्षाओं, आचरण और अनुशासन, जिसके लिये अर्हकारी परीक्षा के कुल अंकों का बीस प्रतिशत अंक चिन्हित होगा, के आधार पर मूल्यांकन करेगा और प्रशिक्षार्थी द्वारा इस सम्बन्ध में प्राप्त किये गये अंकों को अर्हकारी परीक्षा में प्राप्त किये गये अंकों के साथ जोड़ दिया जायेगा।

(3) अर्हकारी परीक्षा में प्रशिक्षणार्थी को सामान्यतया तब तक बैठने की अनुज्ञा प्रदान नहीं की जाएगी जब तक कि कक्षा में उसकी उपस्थिति, सत्र के दौरान स्कूल के खुले रहने पर, न्यूनतम अस्सी प्रतिशत न रही हो। फिलहाल परिषद, आपवादिक मामलों में, शर्त से उपयुक्त छूट प्रदान कर सकती है।

(4) अर्हकारी परीक्षा में यदि कोई प्रशिक्षार्थी असफल होता है तो ऐसे विषयों में, जिनमें वह अर्हकारी परीक्षा के दौरान असफल रहा, परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिये, दो अतिरिक्त अवसर प्रदान किया जाएगा। यदि उक्त अतिरिक्त अवसर का लाभ उठाने के पश्चात भी कोई प्रशिक्षणार्थी अर्हकारी परीक्षा में असफल रहता है तो उसे, सेवा के लिये अनुपयुक्त माना जाएगा।

(5) सफलतापूर्वक प्रशिक्षण पूरा करने पर सभी प्रशिक्षार्थी उस परिणाम का एक प्रमाण-पत्र स्कूल से प्राप्त करेंगे।

(6) प्रत्येक सत्र के दौरान अर्हकारी परीक्षा के अधीक्षक के रूप में कार्य करने के लिये परिषद किसी अधिकारी को नाम निर्देशित करेगी। अपने पारी के दौरान अधीक्षक, निरीक्षकों को नियुक्त करेगा जोकि उसे परीक्षा के दौरान प्रशिक्षार्थियों द्वारा किये गये अनुचित साधनों का प्रयोग करने या प्रयास करने सहित दुराचरण के मामलों, यदि कोई हो, की सूचना देंगे। अपने विवेकानुसार अधीक्षक या तो प्रशिक्षार्थी को अग्रत्तर परीक्षा से बहिष्कृत कर देगा या उसके द्वारा विशिष्ट प्रश्नपत्र में प्राप्त किये गये अंकों को काटने का आदेश देगा। ऐसा करने से पूर्व अधीक्षक, अनुचित साधनों सहित दुराधार के आधार पर किये जाने वाले प्रस्तावित कार्यवाही के विरुद्ध कारण दर्शाने का पूर्ण अवसर देगा। अधीक्षक द्वारा की गयी कार्यवाही के विरुद्ध, प्रशिक्षार्थी, परिषद के समक्ष अपील दायर कर सकता है। परिषद का, इस सम्बन्ध में विनिश्चय अंतिम और बाध्यकारी होगा।

19–(1) सेवा में किसी पद पर मौलिक रूप से नियुक्त किये जाने पर प्रत्येक व्यक्ति को दो वर्ष की अवधि के लिये परिवीक्षा पर रखा जायगा।

(2) नियुक्ति प्राधिकारी ऐसे कारणों से जो अभिलिखित किये जायेंगे अलग-अलग मामलों में परिवीक्षा अवधि को बढ़ा सकता है, जिसमें ऐसा दिनांक विनिर्दिष्ट किया जायेगा जब तक अवधि बढ़ाई जाय:

परन्तु आपवादिक परिस्थितियों के सिवाय परिवीक्षा अवधि एक वर्ष से अधिक और किसी भी परिस्थिति में दो वर्ष से अधिक नहीं बढ़ाई जायगी।

(3) यदि परिवीक्षा अवधि या बढ़ायी गयी परिवीक्षा अवधि के दौरान किसी भी समय या उसके अन्त में नियुक्ति प्राधिकारी को यह प्रतीत हो कि परिवीक्षाधीन व्यक्ति ने अपने अवसरों का पर्याप्त उपयोग नहीं किया है, तो उसे उसके मौलिक पद पर, यदि कोई हो, प्रत्यावर्तित किया जा सकता है और यदि उसका किसी पद पर धारणाधिकार न हो, तो उसकी सेवायें समाप्त की जा सकती हैं।

(4) ऐसा परिवीक्षाधीन व्यक्ति, जिसे उपनियम (3) के अधीन प्रत्यावर्तित किया जाये या जिसकी सेवायें समाप्त की जाय किसी प्रतिकर का हकदार नहीं होगा।

स्थायीकरण

20—किसी परिवीक्षाधीन व्यक्ति को परिवीक्षा अवधि या बढ़ायी गयी परिवीक्षा अवधि के अन्त में उसकी नियुक्ति में स्थायी कर दिया जाएगा, यदि—

(क) वह विहित प्रशिक्षण सफलतापूर्वक उत्तीर्ण कर लेता है;

(ख) वह विहित अर्हकारी परीक्षा सफलतापूर्वक उत्तीर्ण कर लेता है;

(ग) उसका कार्य और आचरण संतोषजनक बताया जाय;

(घ) उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित कर दी जाय; और

(ङ) नियुक्ति प्राधिकारी का यह समाधान हो जाय कि वह स्थायी किये जाने के लिए अन्यथा उपयुक्त है।

ज्येष्ठता

21—सेवा में किसी पद पर मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्तियों की ज्येष्ठता समय-समय पर यथा संशोधित उ०प्र० सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 1991 के अनुसार अवधारित की जायेगी।

भाग—सात वेतन इत्यादि

वेतनमान

22—(1) सेवा में किसी पद पर नियुक्त व्यक्तियों का अनुमन्य वेतनमान ऐसा होगा जैसा सरकार द्वारा समय-समय पर अवधारित किया जाय।

(2) इस नियमावली के प्रारम्भ के समय वेतनमान 3050—75—3950—80—4590 रूपया है।

परिवीक्षा अवधि में वेतन

23—(1) फण्डामेन्टल रूल्स में किसी प्रतिकूल उपबन्ध के होते हुए भी, परिवीक्षाधीन व्यक्ति को, यदि वह पहले से स्थायी सरकारी सेवा में न हो, समयमान में उसकी प्रथम वेतन वृद्धि तभी दी जायेगी जब उसने एक वर्ष की संतोषजनक सेवा पूरी कर ली हो, विहित प्रशिक्षण पूर्ण कर लिया हो और अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हो और द्वितीय वेतनवृद्धि दो वर्ष की सेवा के पश्चात तभी दी जायेगी जब उसने परिवीक्षा अवधि पूरी कर ली हो और उसे स्थायी भी कर दिया गया हो।

(2) ऐसे व्यक्ति का, जो पहले से सरकार के अधीन कोई पद धारण कर रहा हो, परिवीक्षा अवधि में वेतन सुसंगत फण्डामेन्टल रूल्स द्वारा विनियमित होगा।

(3) ऐसे व्यक्ति का, जो पहले से स्थायी सरकारी सेवा में हो, परिवीक्षा अवधि में वेतन राज्य के कार्यकलाप के सम्बन्ध में सेवारत सरकारी सेवकों पर समान्यतया लागू सुसंगत नियमों द्वारा विनियमित होगा।

भाग—आठ अन्य उपबन्ध

स्थानान्तरण

24—(1) जिला का कलेक्टर अपने विवेक से जिला के भीतर किसी लेखपाल का स्थानान्तरण, एक परगना से दूसरे परगना को कर सकता है और किसी परगना का प्रभारी सहायक कलेक्टर परगना के भीतर, किसी लेखपाल का स्थानान्तरण, एक हल्का से दूसरे हल्का को कर सकता है।

(2) जब कोई क्षेत्र, सर्वेक्षण, अभिलेख या बन्दोबस्त क्रिया के अधीन हो या धृति के चकबन्दी की क्रिया के अधीन हो तो उपर्युक्त क्रियाओं के अधीन क्षेत्र के बाहर किसी लेखपाल का स्थानान्तरण, यथास्थिति, नियुक्ति प्राधिकारी या सहायक कलेक्टर द्वारा, अभिलेख अधिकारी या बन्दोबस्त अधिकारी के परामर्श के बिना, नहीं किया जायेगा।

सर्वेक्षण लिखत

25—सेवा के प्रत्येक सदस्य को, ऐसे सर्वेक्षण लिखतों को, जैसा कि समय-समय पर यथा विनिर्दिष्ट किया जाय, आपूर्ति किया जाएगा। इन लिखतों का रख-रखाव और निस्तारण कार्यकारी आदेशों द्वारा विनियमित किया जायेगा।

निवास का दायित्व

26—लेखपाल, अपने हल्का के भीतर ही निवास करेगा, जब तक कि उसने अपने निवास से बाहर रहने की अनुज्ञा कलेक्टर से प्राप्त न कर ली हो।

टिप्पणी:—छूट को मंजूर करने और अनुपस्थित सहित व्यवहार में पालन किये जाने वाले सिद्धान्त लैण्ड रिकार्ड मैनुअल के पैराग्राफ 538—544 में अधिकथित हैं।

पक्ष समर्थन

27—किसी पद पर या सेवा में लागू नियमों के अधीन अपेक्षित सिफारिशों से भिन्न किन्हीं सिफारिशों पर चाहे लिखित हो या मौखिक, विचार नहीं किया जायेगा। किसी अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन प्राप्त करने का कोई प्रयास उसे नियुक्ति के लिए अनर्ह कर देगा।

अन्य विषयों का विनियमन

28—ऐसे विषयों के संबंध में जो विनिर्दिष्ट रूप से इस नियमावली या विशेष आदेशों के अन्तर्गत न आते हों, सेवा में नियुक्त व्यक्ति राज्य की कार्यकलापों के सम्बन्ध में सेवारत सरकारी सेवकों पर सामान्यतया लागू नियमों, विनियमों और आदेशों द्वारा नियंत्रित होंगे।

सेवा की शर्तों में शिथिलता

29—जहां राज्य सरकार का यह समाधान हो जाय कि सेवा में नियुक्त व्यक्तियों की सेवा शर्तों को विनियमित करने वाले किसी नियम के प्रवर्तन से किसी विशिष्ट मामले में अनुचित कठिनाई होती है, वहाँ वह उस मामले में लागू नियमों में किसी बात के होते हुए भी, आदेश द्वारा उस नियम की अपेक्षाओं को उस सीमा तक और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जिन्हे वह मामले में न्यायसंगत और साम्यपूर्ण रीति से कार्यवाही करने के लिए आवश्यक समझे, अभिमुक्त या शिथिल कर सकती है।

व्यावृत्ति

30—इस नियमावली में किसी बात का कोई प्रभाव ऐसे आरक्षण और अन्य रियायतों पर नहीं पड़ेगा, जिनका इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये गये आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य विशेष श्रेणियों के व्यक्तियों के लिए उपबन्ध किया जाना अपेक्षित हो ।

आज्ञा से,
एस० आर० लाखा,
प्रमुख सचिव।

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 1749/1-9-2007-28 L-C/2005, dated August 6, 2007:

No. 1749/1-9-2007-28 L-C-2005
Dated Lucknow, August 6, 2007

In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution and in supersession of all existing rules and orders on the subject, the Governor is pleased to make the following rules regulating recruitment and the conditions of service of persons appointed to the Uttar Pradesh Lekhpals Service.

THE UTTAR PRADESH LEKHPALS SERVICE RULES, 2006

PART-I GENERAL

Short title and commencement

1. (1) These rules may be called the Uttar Pradesh Lekhpals Service Rules, 2006.

(2) They shall come into force at once.

Status of the service

2. The Uttar Pradesh Lekhpals Service is a subordinate service comprising group 'C' posts.

Definitions

3. In these rules, unless there is anything repugnant in the subject or context,–

(a) 'Act' means the Uttar Pradesh Public Services (Reservations for Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes) Act, 1994;

(b) 'appointing authority' means the Assistant Collector in charge of a subdivision;

(c) 'Board' means the Board of Revenue, Uttar Pradesh;

(d) 'Citizen of India' means a person who is or is deemed to be a citizen of India under Part-II of the Constitution;

(e) 'Commissioner' means the Commissioner of a Division;

(f) 'Constitution' means the Constitution of India;

(g) 'Director of Land Records' herein after called the Director means the authority for the time being exercising the powers of the Director of Land Records;

NOTE–At present the Board of Revenue exercises the powers of the Director.

(h) 'Government' means the State Government of Uttar Pradesh;

(i) 'Governor' means the Governor of Uttar Pradesh;

(j) 'Member of the Service' means a person substantively appointed under these rules or the rules or orders in force prior to the commencement of these rules to a post in the cadre of the service;

(k) 'other backward classes of citizens' means the backward classes of citizens specified in Schedule-I of the Act as amended from time to time;

(l) 'Service' means the Uttar Pradesh Lekhpals Service;

(m) 'Substantive appointment' means an appointment, not being an ad-hoc appointment, on a post in the cadre of the service, made after selection in accordance with the rules, and, if there were no rules, in accordance with the procedure prescribed for the time being by executive instructions issued by the Government;

(n) 'Year of recruitment' means a period of twelve months commencing on the first day of July of a calendar year.

PART-II-CADRE

Cadre of Service

4. (i) The strength of the service shall be such as may be determined by the Government from time to time.

(ii) The strength of the service shall, until orders varying the same are passed under sub-rule (1) be as given below:–

Name of post	Number of Posts		
	Permanent	Temporary	Total
Lekhpal	27,237	–	27,237

(iii) The cadre of Lekhpals shall be district wise and the district wise allocation of strength will be made by the State Government

provided that :

(i) The appointing authority may leave unfilled or the Governor may hold in abeyance any vacant post, without thereby entitling any person to compensation;

(ii) The Governor may create such additional permanent or temporary posts as he may consider proper.

PART-III-RECRUITMENT

Source of recruitment

5. Recruitment to a post in the service shall be made by direct recruitment.

Reservation

6. Reservation for the candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other categories shall be in accordance with the Act and the Uttar Pradesh Public Services (Reservation for Physically Handicapped, Dependents of Freedom Fighters and Ex- Servicemen) Act, 1993, as amended from time to time, and the orders of the Government in force at the time of the recruitment.

PART-IV- QUALIFICATIONS

Nationality

7. A candidate for direct recruitment to a post in the service must be,–

(a) a citizen of India; or

(b) a Tibetan refugee who came over to India before the 1st January, 1962 with the intention of permanently settling in India ; or

(c) a person of Indian origin who has migrated from Pakistan, Burma, Sri Lanka, or any of the East African countries of Kenya, Uganda and the United Republic of Tanzania (formerly Tanganyika and Zanzibar) with the intention of permanently settling in India:

Provided that a candidate belonging to category *(b)* or *(c)* above must be a person in whose favour a certificate of eligibility has been issued by the Sate Government:

Provided further that a candidate belonging to category *(b)* will also be required to obtain a certificate of eligibility granted by the Deputy Inspector General of Police, Intelligence Branch, Uttar Pradesh:

Provided also that if a candidate belongs to category *(c)* above, no certificate of eligibility will be issued for a period of more than one year and the retention of such a candidate in service beyond a period of one year, shall be subject to his acquiring Indian citizenship.

NOTE: - A candidate in whose case a certificate of eligibility is necessary but the same has neither been issued nor refused, may be admitted to an examination or interview and he may also be provisionally appointed subject to the necessary certificate being obtained by him or issued in his favour.

Academic qualification

8. A candidate for direct recruitment to a post in the service must have passed the Intermediate Examination of the Board of High School and Intermediate Education, Uttar Pradesh or an examination recognised by the Government as equivalent there to.

Preferential qualification

9. A candidate who has–

(i) Served in the Territorial Army for a minimum period of two years; or

(ii) Obtained a "B" certificate of the National Cadet Corps shall, other things being equal, be given preference in the matter of direct recruitment.

Age

10. A candidate for direct recruitment to a post in the service must have attained the age of 18 years and must not have attained the age of more than 35 years on the first day of July of the calendar year in which vacancies for direct recruitment are advertised:

Provided that the upper age limit in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and such other categories as may be notified by the Government from time to time shall be greater by such number of years as may be specified.

Character

11. The character of a candidate for direct recruitment to a post in the service must be such as to render him suitable in all respects for employment in Government service. The appointing authority shall satisfy itself on this point.

NOTE- Persons dismissed by the Union Government or a State Government or by a Local Authority or a Corporation or Body owned or controlled by the Union Government or a State Government shall be ineligible for appointment to any post in the service. Persons convicted of an offence involving moral turpitude shall also be ineligible.

Marital status

12. A male candidate who has more than one wife living or a female candidate who has married a man already having a wife living shall not be eligible for appointment to a post in the service:

Provided that the Government may, if satisfied that there exist special grounds for doing so, exempt any person from the operation of this rule.

Physical fitness

13. No candidate shall be appointed to a post in the service unless he be in good mental and bodily health and free from any physical defect likely to interfere with the efficient performance of his duties. Before a candidate is finally approved for appointment, he shall be required to produce a Medical Certificate of fitness in accordance with the rules framed under Fundamental rule 10, contained in chapter III of the Financial Hand Book, Volume II, Part III.

PART-V-PROCEDURE FOR RECRUITMENT

Determination of Vacancies

14. The appointing authority shall determine and intimate to the Selection Committee, the number of vacancies to be filled during the course of the year of recruitment as also the number of vacancies to be reserved for candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other categories under rule 6. For making direct recruitment , the vacancies shall be notified in the following manner :–

(i) by issuing advertisement in the daily newspaper having wide circulation;

(ii) by pasting the notice on the notice board of the office or by advertising through Radio/Television and other Employment newspapers; and

(iii) by notifying vacancies to the Employment Exchange.

Procedure for direct recruitment

15. (1) For the purpose of recruitment the Board shall constitute a Selection Committee comprising :–

(i) An officer not below the rank of Appointing Authority.	*Chairman*
(ii) An officer not below the rank of Appointing Authority belonging to the Scheduled Castes or Scheduled Tribes, if the Chairman does not belong to the Scheduled Castes or Scheduled Tribes. If the Chairman belongs to the Scheduled Castes or Scheduled Tribes, an officer other than belonging to the Scheduled Castes or Scheduled Tribes or Other Backward Classes shall be nominated by the Board.	*Member*
(iii) An officer not below the rank of Appointing Authority belonging to the Other Backward Classes, if the Chairman does not belong to the Other Backward Classes. If the Chairman belongs to the Other Backward Classes, an officer other than Other Backward Classes or Scheduled Castes or Scheduled Tribes shall be nominated by the Board.	*Member*

(2) On receiving the number of vacancies of Lekhpals to be filled, the Board shall decide to hold the competitive examination at the Divisional level or any other unit as per the administrative exigencies. The applications shall be invited by the Collector in his district.

(3) The Collector shall scrutinize the applications and require the eligible candidates to appear in a competitive examination.

(4) The application will be submitted by the candidate in the prescribed form, in which a copy of his passport size photograph will be affixed compulsorily. It will also be necessary to enclose with the application self attested copies of mark sheets of High School and Intermediate or an equivalent examination. For candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and such other categories for whom vacancies are reserved, it will be necessary to attach a certificate given by the Competent Authority for appearing against the reserved vacancies for such special category under rule 6. The examination fee for the candidates will be payable to the Collector of the district through the Indian Postal Order or Bank Draft and the amount of fee shall be decided by the Board.

(5) The competitive examination shall be conducted under the supervision of the Selection Committee. The competitive examination shall include an objective type written examination and an interview. The objective type written examination shall carry sixty marks, which will include question on General Hindi, Mathematics, General knowledge and topic concerning rural areas. The interview shall carry forty marks.

(6) After the marks obtained by the candidates in the written examination have been tabulated, the Selection Committee shall, having regard to the need for securing due representation of the candidates belonging to Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other categories in accordance with rule 6, call for interview such number of candidates as, on the result of the written examination, have come up to the standard fixed by the Selection Committee in this respect. The marks awarded to each candidate in the interview shall be added to the marks obtained by him in the written examination.

(7) The Selection Committee shall prepare a district wise list of candidates in order of merit as disclosed by the aggregate of marks obtained by them in the written examination and interview. If two or more candidates obtain equal marks, the candidate obtaining higher marks in the written examination shall be placed higher. If two or more candidates obtain equal marks in the written examination also, the candidate senior in age shall be placed higher in the list. The Selection Committee shall forward the list to the respective appointing authority/ authorities.

PART VI -APPOINTMENT, TRAINING, PROBATION, CONFIRMATION AND SENIORITY

Appointment

16. (1) The appointing authority shall make appointment by taking the names of candidates in the order in which they stand in the lists prepared under rule 15.

(2) If more than one order of appointment are issued in respect of anyone selection, a combined order shall also be issued mentioning the names of the persons in order of seniority as determined in the selection.

Training

17. The persons appointed under rule 16 shall join the Lekhpal Training School on such date as may be fixed by the Board which shall normally be the first day of July and undergo training for a period of one year.

Qualifying Examination

18. (1) At the end of the training session, a qualifying examination shall be held, arrangements for which shall be made by the Board.

(2) Principal of the school shall assess the work and conduct of each trainee on the basis of the attendance, mnthly tests, conduct and discipline for which twenty per cent of the total marks fixed for qualifying examination shall be earmarked and the marks obtained by the trainees in this regard will be added to the marks obtained in the qualifying examination.

(3) No trainee shall ordinarily be allowed to appear at the qualifying examination unless he has attended the class for at least eighty per cent of the days on which the school was open during the session. The Board may, however, suitably relax this condition in exceptional cases.

(4) If a trainee fails at the qualifying examination, he may be allowed additional two chances to pass the examination in the subject in which he has failed in the qualifying examination. If a trainee, after availing the said additional chances, still fails in the qualifying examination, he shall be treated unfit for the service.

(5) All the trainees who have completed the training successfully, shall receive a certificate to that effect from the school.

(6) At each session the Board shall nominate an officer to work as Superintendent of the qualifying examination. The Superintendent in his turn shall appoint invigilators who shall report to him the cases of misconduct including use of unfair means or attempts, if any, on the part of the examinees during the examination. The Superintendent may in his discretion either debar the examinee from further examination or order for deduction of marks obtained by him in the particular paper. Before doing so on the ground of misconduct including unfair means the Superintendent shall afford full opportunity of showing cause against the action proposed to be taken. The examinee may file an appeal before the Board against the action taken by the Superintendent. The decision of the Board shall be final and binding in this regard.

Probation

19. (1) A person on substantive appointment to a post in the service shall be placed on probation for a period of two years.

(2) The appointing authority may, for reasons to be recorded, extend the period of probation in individual cases specifying the date up to which the extension is granted:

Provided that, save in exceptional circumstance, the period of probation shall not be extended beyond one year and in no circumstance beyond two years.

(3) If it appears to the appointing authority at any time during or at the end of the period of probation or extended period of probation that a probationer has not made sufficient use of his opportunities, he may be reverted to his substantive post, if any, and if he does not hold a lien on any post, his services may be dispensed with.

(4) A probationer who is reverted or whose services are dispensed with under sub-rule (3) shall not be entitled to any compensation.

Confirmation

20. A probationer shall be confirmed in his appointment at the end of the period of probation or the extended period of probation, if –

(a) he has successfully undergone the prescribed training;

(b) he has passed the prescribed qualifying examination;

(c) his work and conduct is reported to be satisfactory;

(d) his integrity is certified; and

(e) the appointing authority is satisfied that he is otherwise fit for confirmation.

Seniority

21. The seniority of persons substantively appointed to a post in the service shall be determined in accordance with the Uttar Pradesh Government Servants Seniority Rules, 1991, as amended from time to time.

PART VII – PAY ETC.

Scale of Pay

22. (1) The scale of pay admissible to persons appointed to a post in the service shall be such as may be determined by the Government from time to time.

(2) The scale of pay at the time of the commencement of these rules is Rs. 3050-75-3950-80-4590.

Pay during Probation

23.(1) Notwithstanding any provision in the Fundamental Rules to the contrary, a person on probation, if he is not already in permanent Government service, shall be allowed his first increment in the time scale when he has completed one year of satisfactory service, has undergone training and passed the qualifying examination and second increment after two years service when he has completed the probationary period and is also confirmed.

(2) The pay during probation of a person who was already holding a post under the Government shall be regulated by the relevant fundamental rules.

(3) The pay during probation of a person already in permanent Government service shall be regulated by the relevant rules, applicable generally to Government servants serving in connection with the affairs of the state.

PART VIII- OTHER PROVISIONS

Transfer

24. (1) The Collector of the District may at his discretion transfer a Lekhpal from one sub-division to another sub-division within the district, and the Assistant Collector in-charge of a sub-division may transfer a Lekhpal within the sub-division from one halqa to another halqa.

(2) When any tract is under survey, record or settlement operation or under the operation for consolidation of holdings, the transfer of a Lekhpal outside the area under the aforesaid operations shall not be made by the appointing authority or the Assistant Collector without consulting the Records or Settlement Officer of the Consolidation, as the case may be.

Survey Instruments

25. Each member of the service shall be supplied with such survey instruments as may be specified from time to time. The maintenance and disposal of these instruments will be regulated by executive orders.

Obligation of residence

26. The Lekhpal shall reside within his halqa unless he has obtained permission of the Collector to reside outside it.

NOTE:– The principles to be followed in allowing exemption and in dealing with absentees are laid down in paragraph 538-544 of the Land Records Manual.

Canvassing

27. No recommendations, either written or oral, other than those required under the rules applicable to the post or service will be taken into consideration. Any attempt on the part of a candidate to enlist support directly or indirectly for his candidature will disqualify him for appointment.

Regulation of other matters

28. In regard to the matters not specifically covered by these rules or special orders, persons appointed to the service shall be governed by the rules, regulations and orders applicable generally to Government servants serving in connection with the affairs of the State.

Relaxation from the conditions of service

29. Where the State Government is satisfied that the operation of any rule regulating the conditions of service of persons appointed to the service causes undue hardship in any particular case, it may, notwithstanding anything contained in the rules applicable to the case, by order, dispense with or relax the requirements of that rule to such extent and subject to such conditions as it may consider necessary for dealing with the case in a just and equitable manner.

Savings

30. Nothing in these rules shall affect reservations and other concessions required to be provided for the candidates belonging to the Scheduled Caste, Scheduled Tribes and other special categories of persons in accordance with the orders of the Government issued from time to time in this regard.

By order,
S.R. LAKHA,
Pramukh Sachiv.

पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 378 राजपत्र (डि0)–2007–(1017)–597 प्रतियां (कम्प्यूटर/आफसेट)।
पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 4 सा0 राजस्व–2007–(1018)–500 प्रतियां (कम्प्यूटर/आफसेट)।

राजस्व विभाग
राजस्व अनुभाग—9
संख्या—1952/1-9— 2014-28 एल०सी०/2006
लखनऊः दिनांक० -10-2014

अधिसूचना
प्रकीर्ण

संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल, उत्तर प्रदेश लेखपाल सेवा नियमावली, 2006 में संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:—

उत्तर प्रदेश लेखपाल सेवा (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 2014

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ — 1.(1)यह नियमावली उत्तर प्रदेश लेखपाल सेवा(द्वितीय संशोधन)नियमावली, 2014 कही जायेगी ।
(2)यह तुरन्त प्रवृत्त होगी ।

नियम—15 का संशोधन — 2. उत्तर प्रदेश लेखपाल सेवा नियमावली, 2006, में नियम—15 में नीचे स्तंभ—1 में दिये गये विद्यमान उप नियम (5) के स्थान पर स्तंभ—2 में दिया गया उप नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्:—

स्तंभ—1 विद्यमान उपनियम	स्तंभ—2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित उपनियम
"(5) प्रतियोगिता परीक्षा, चयन समिति के पर्यवेक्षण के अधीन संचालित की जायेगी । प्रतियोगी परीक्षा में वस्तुनिष्ठ लिखित परीक्षा और साक्षात्कार सम्मिलित होगा । वस्तुनिष्ठ लिखित परीक्षा नब्बे अंक की होगी, जिसमें निम्नलिखित विषय सम्मिलित होगें :— 1—सामान्य हिन्दी— 20 अंक 2—गणित— 30 अंक 3—सामान्य ज्ञान— 20 अंक 4—ग्रामीण समाज एवं विकास— 20 अंक ——————— 90अंक ——————— साक्षात्कार दस अंक का होगा ।"	"(5) प्रतियोगिता परीक्षा, चयन समिति के पर्यवेक्षण के अधीन संचालित की जायेगी। प्रतियोगी परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रकार की लिखित परीक्षा और साक्षात्कार सम्मिलित होगा । वस्तुनिष्ठ प्रकार की लिखित परीक्षा अस्सी अंकों की होगी, जिसमें निम्नलिखित विषयों के प्रश्न सम्मिलित होगें :— 1—सामान्य हिन्दी — 20 अंक 2—गणित— 20 अंक 3—सामान्य ज्ञान— 20 अंक 4—ग्राम्य समाज एवं विकास— 20 अंक ——————— कुलः— 80 अंक ——————— साक्षात्कार बीस अंकों का होगा ।"

आज्ञा से,

(किशन सिंह अटोरिया)
प्रमुख सचिव ।

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 1952/1-9-2014 dated 01-10-2014

GOVERNMENT OF UTTAR PRADESH

REVENUE DEPARTMENT

REVENUE SECTION-9

NOTIFICATION

Miscellaneous

No-1952/1-9-2014-28-2 C./2006

Dated: Lucknow 01-10-,2014

IN exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution,the Governor is pleased to make the following rules with a view to amending the Uttar Pradesh Lekhpals Service Rules,2006

THE UTTAR PRADESH LEKHPALS SERVICE(SECOND AMENDMENT) RULES,2014

Short title and commencement

1. (1) These rules may be called the Uttar Pradesh Lekhpals Service [Second Amendment] Rules,2014

(2) They shall come into force at once.

Amendment of rule 15

2. In the Uttar Pradesh Lekhpals Service Rules,2006 in rule 15, for existing sub-rule(5)set out in column 1 below, the sub-rule as set out in column 2 shall be substituted, namely:-

COLUMN-1 **Existing sub-rule**	COLUMN-2 **Sub-rule as here by substituted**
(5) The competitive examination shall be conducted under the supervision of the Selection Committee. The competitive examination shall include an objective type written examination and an interview. The objective type written examination shall carry ninety marks, which will include question on the following subjects :	(5) The competitive examination shall be conducted under the supervision of the Selection Committee. The competitive examination shall include an objective type written examination and an interview. The objective type written examination shall carry eighty marks, which will include questions on the following subjects :

(i)GeneralHindi-	20 Marks,
(ii)Mathematics-	30 Marks
(iii)General Knowledge-	20 Marks
(iv)RuralSociety and Development-	20 Marks
Total-	90 Marks
The interview shall carry ten marks.	

(i)GeneralHindi-	20 Marks,
(ii)Mathematics-	20 Marks
(iii)General Knowledge-	20 Marks
(iv)RuralSociety and Development-	20 Marks
Total-	80 Marks
The interview shall carry twenty marks.	

By order,

(Kishan singh Atoria)
Principal Secretary